



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक 27.12.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने गोकशी की घटना में संलिप्त दो अभियुक्तों को गौवंशीय अवशेष, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.12.2024 को थाना चांदपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 24.12.2024 को ग्राम दरबाडा के तालाब में मिले गौवंशीय अवशेष की घटना में संलिप्त 02 शातिर अभियुक्तगण पूर्व मे की गयी गोकशी की घटना के अवशेषों को कहीं ठिकाने लगाने के लिए ग्राम मिर्जापुर बेला को जाने वाले रास्ते के विपरीत जंगल में आ रहे हैं । उक्त सूचना पर थाना चांदपुर पुलिस टीम द्वारा तत्काल जंगल में जाकर देखा कि 02 व्यक्ति एक



मोटरसाइकिल पर 01 कट्टे में गौवंशीय अवशेष लेकर जा रहे थे । पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जो उ0नि0 पुष्कर सिंह, थानाध्यक्ष चांदपुर द्वारा पहनी हुई बुलेट प्रुफ जैकेट में लगी । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग मे एक गोली उक्त अभियुक्त के पैर में लगी जिसको घायल अवस्था में पुलिस हिरासत में लिया गया व उपचार हेतु सीएचसी स्याऊ मे भर्ती कराया गया । पुलिस टीम द्वारा दूसरे अभियुक्त को भी मौके पर ही पकड लिया गया ।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम फईम उर्फ काला पुत्र हफीज निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर बताया तथा साथी अभियुक्त के बारे में बताया कि वह मेरा सगा भाई है, जिसका नाम रईस है । अभियुक्त फईम के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा अभियुक्त रईस के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । साथ ही अभियुक्तगणों से 01 कट्टा जिसमे गौवंशीय पशु के अवशेष (सिर) तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को कब्जे में लिया गया । इस संबंध मे थाना चांदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त रईस से की गई पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश मे आये कि 03-04 दिन पहले ग्राम मिर्जापुर बेला के जंगल में उनके द्वारा एक घुमंतु गौवंशीय पशु का वध कर उसके अवशेष ग्राम दरबाडा के तालाब मे डाल दिये थे तथा जो अवशेष बच गए थे उन्हें आज कहीं डालने जा रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. फईम उर्फ काला पुत्र हफीज निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
2. रईस पुत्र हफीज निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण –

1. एक कट्टे मे गौवंशीय अवशेष ।
2. दो अवैध तमन्चे 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।
3. घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल स्टार सिटी ।

आपरधिक इतिहास रईस उपरोक्त -

- 1.मु0अ0सं0 353/2010 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता व 295 भादवि थाना हीमपुर दीपा बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 74/2011 धारा 120बी/379/411/414/420/467/468/471 भादवि व 102/41 सीआरपीसी थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 3.मु0अ0सं0 161/2011 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 4.मु0अ0सं0 269/2011 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट चांदपुर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 124/2016 धारा 323/452/504/506 भादवि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 220/2012 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
7. मु0अ0सं0 218/2018 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
8. मु0अ0सं0 347/2020 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 421/2021 धारा 3/5/ए8 गौवध अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
10. मु0अ0सं0 280/2022 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 11.मु0अ0सं0 10/2024 धारा 429 भादवि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
- 12.मु0अ0सं0 220/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 13.मु0अ0सं0 718/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना चादपुर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फईम उर्फ काला उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 353/2010 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व11 पशु क्रु0 अधि0 व 295 भादवि0 थाना हीमपुर दीपा बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 220/2012 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व11 पशु क्रु0 अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
- 3.मु0अ0सं0 17/2023 धारा 147/148/323/332/336/353/504/506 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
- 4.मु0अ0सं0 57/2024 धारा 269/270/420/429 भादवि0 व 3/11 पशु क्रु0अधि0 थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 5.मु0अ0सं0 220/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 6.मु0अ0सं0 718/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना चादपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.थानाध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह मेहरा थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 3.उ0नि0 श्री जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 4.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 5.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 6.उ0नि0 श्री मसरत हुसैन थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 7.का0 1154 चरणदास थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 8.का0 1905 जगदीश थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 9.का0 2070 मोहित कुमार थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 10.का0 2048 इंशाद खान थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 11.का0 2341 मौ0 सिराज थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 12.का0 671 जैकी थाना चांदपुर बिजनौर ।
- 13.का0 865 धन सिंह थाना चांदपुर बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां

दिनांक 27-12-2024

थाना शिवालाकलां पुलिस ने पशु चोरी की 02 घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को पशु चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त गाडी, नगदी व अन्य सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.11.2024 को रात्रि में थाना शिवालाकलां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शिवालाकलां से एवं 06/07.12.2024 को रात्रि में ग्राम मुस्तफाबाद से अज्ञात चोरो द्वारा भैंस चोरी की घटना कारित की गयी । इस सम्बंध में दिनांक 27.11.2024 को वादिया श्रीमती पिकी पत्नी अरविन्द कुमार निवासी ग्राम व थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर द्वारा थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 145/24 धारा 305(क) बीएनएस एवं दिनांक 07.12.2024 को वादी श्री जयप्रकाश पुत्र स्व0 आशाराम निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर द्वारा थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 151/24 धारा 305(क) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

दिनांक 26.12.2024 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा उपरोक्त घटनाओं में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.मुकुल पुत्र संजय 2.संजय पुत्र लहरी निवासी ग्राम गंगापुरी थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से पशु चोरी की घटनायें कारित कर प्राप्त 9,520 /– रुपये, चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त पिकअप गाडी नं0 यूपी 20 एटी 1793, हथोडी, सब्बल, छोटा चाकू (रस्सी काटने वाला), कटी हुई रस्सी, एक स्मार्टफोन, एक की-पैड फोन बरामद किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 22/23.11.2024 की रात्रि में उन्होने शिवालाकलां क्षेत्र में स्थित फ्यूचर पब्लिक स्कूल के पास से एक भैंस चोरी की थी तथा दिनांक 06/07.12.2024 की रात्रि में दीवार तोडकर ग्राम मुस्तफाबाद से दो भैंसे चोरी की थी, जोकि उन्होने राह चलते व्यक्तियों को बेच दी थी । बरामद पैसे भैंस चोरी की घटनाओं से ही प्राप्त किये है व पिकअप गाडी में रखे उपकरणों का प्रयोग चोरी की घटनाओं में किया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1-मुकुल पुत्र संजय निवासी ग्राम गंगापुरी थाना गजरौला जनपद अमरोहा
- 2-संजय पुत्र लहरी निवासी ग्राम गंगापुरी थाना गजरौला जनपद अमरोहा

बरामदगी –

रैं 9520 /— नगद

एक पिकअप गाडी नं0 गाडी नं0 यूपी 20 एटी 1793

हथोडी, सब्बल, छोटा चाकू (रस्सी काटने वाला), रस्सी आदि

अभियुक्त मुकुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1— मु0अ0सं0 145 / 24 धारा 305(क) बीएनएस थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

2— मु0अ0सं0 151 / 24 धारा 305(क) बीएनएस थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त संजय का आपराधिक इतिहास –

1—मु0अ0सं0 100 / 2006 धारा 324 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

2—मु0अ0सं0 157 / 2006 धारा 392, 411 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

3—मु0अ0सं0 1513 / 2008 धारा 18 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

4—मु0अ0सं0 764 / 2009 धारा 380 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

5—मु0अ0सं0 296 / 11 धारा 307 भादवि थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

6—मु0अ0सं0 181 / 12 धारा 395, 412 भादवि थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद ।

7—मु0अ0सं0 262 / 12 धारा 363, 366, 376 भादवि थाना स्यौहारा जनपद बिजनौर ।

8—मु0अ0सं0 246 / 13 धारा 328, 379 भादवि थाना कन्ध जनपद मुरादाबाद ।

9— मु0अ0सं0 135 / 17 धारा 380, 411 भादवि थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।

10—मु0अ0सं0 268 / 17 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना बछरायूं जनपद अमरोहा ।

11—मु0अ0सं0 616 / 17 धारा 379, 411 भादवि थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।

12—मु0अ0सं0 617 / 17 धारा 307 भादवि थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।

13—मु0अ0सं0 693 / 17 धारा 380, 411 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

14—मु0अ0सं0 98 / 19 धारा 380, 411 भादवि थाना बछरायूं जनपद अमरोहा ।

15—मु0अ0सं0 145 / 24 धारा 305(क) बीएनएस थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

16—मु0अ0सं0 151 / 24 धारा 305(क) बीएनएस थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1—श्री वीरेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

2—उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

3—उ0नि0 श्री संजयपाल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

4—मु0आ0 693 राहुल कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

5—मु0आ0 807 अमित थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

6—मु0आ0 345 राजकुमार नागर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

7—आरक्षी 1535 अमित सहगल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

8—आरक्षी 1998 विष्णु शर्मा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

9— आरक्षी 272 हरित चौधरी थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 27.12.2024

**थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0स0 191/24 धारा 420/467/468/471/506 भादवि मे
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.10.2024 को वादिया ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.राम सिंह पुत्र रणजीत सिंह व 2.मुन्नी देवी पत्नी राम सिंह निवासीगण मौहल्ला नायक सराय कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के पिता के नाम से कूटरचित आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य कागजात बनवाकर उनका इस्तेमाल कर वादिया को मानसिक व आर्थिक क्षति पहुंचाई गई तथा वादिया के पति व बेटो को झूठे मुकदमो मे फंसाने व पैत्रिक सम्पत्ति हडपने की योजना बनाई गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 191/24 धारा 420/467/468/471/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 27.12.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राम सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी ग्राम गंजालपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर हाल पता निवासी मौ0 नायक सराय कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राम सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी ग्राम गंजालपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर हाल पता निवासी मौ0 नायक सराय कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.का0 81 नितिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 27.12.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी 02 मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.12.2024 को राहुल पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हसुपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर की मोटरसाइकिल सीटी-100 रजि0 नं0 UP20BH8657 व प्रवेश कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी हसुपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर की पेशन प्लस मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP20Q8437 ग्राम हसुपुरा से चोरी हो जाने के सम्बन्ध में वादी श्री राहुल कुमार उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 480/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

दिनांक 26.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नूरपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम इनायतपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटरसाईकिल पेशन प्लस सहित गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल सीटी-100 पर सवार इसका अन्य साथी मोटरसाईकिल झाडियों में गिराकर मौके का फायदा उठाकर भाग गया । अभियुक्त अंकित ने पूछताछ में भागे हुए चोर का नाम सुन्दर पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम इनायतपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर बताया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंकित कुमार पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम इनायतपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

- 1.मोटरसाईकिल पेशन प्लस रजि0नं0 UP 20 Q 8437
- 2.मोटर साईकिल सीटी-100 रजि0 नं0 UP 20 BH 8657

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 95/2020 धारा 323/324/427/504 भादवि थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 83/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 480/2024 धारा 303(3)/317(2)बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. कां0 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. कां0 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर